

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 1978/अग्रहायण 27, 1900
No. 236] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 18, 1978/AGRAHAYANA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 93—आईटीसी(पी एन)/78

विषय:—आयात-निर्यात क्रियाविधि हेतु 1978-79—नियतियों का विपरीतकरण।

मि सं० आईटीसी(पी एन)/78-79/अध्याय 11:—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं०
29—आईटीसी(पी एन)/78, दिनांक 4 मई, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात-निर्यात क्रिया-
विधि हेतु 1978-79 में विहित नियतियों के विपरीतकरण से संबंधित पैरा 271 में दिए गए
उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. हण्डबुक के उक्त पैरा 271 में निम्नलिखित संशोधन किए गए समझे जाएंगे:—

क्रम सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1. उप-खण्ड 271(1)(क)		श्रंत में प्रदर्शित शब्द "अथवा" हटा दिया जाएगा।
2. उप-खण्ड 271(1)(ख)		श्रंत में "आभार" शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द निविष्ट किया जाएगा :— "अथवा"
3. उप-पैरा 271(1)		विद्यमान उप-खण्ड 271(1)(ख) के बाद निम्न- लिखित उप-खण्ड जोड़ा जाएगा :— "(ग) निर्यात के लिए पहले प्रार्थित किसी कोटे का संतोषजनक उपयोग करने के लिए असमर्थ रहा है, या लिमिटेड कम्पनी होने के कारण इसके संचालकों में से कोई असमर्थ रहा है।"

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 93—ITC (PN)/78

New Delhi, the 18th December, 1978

Subject: Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79—Deregistration of Exporters.

F. N. ITC (HB)/78-79/Chapter XI.—Attention is invited to the provisions made in para 271 pertaining to Deregistration of Exporters as contained in the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79, published under the Department of Commerce Public Notice No. 29—ITC (PN)/78 dated the 4th May, 1978.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the said para 271 of the Hand Book:—

S. No.	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-clause 271(1)(a)	The word "or" appearing at the end shall be deleted.
2.	Sub-clause 271(1)(b)	After the word "obligation" at the end, the following shall be inserted:— "or"
3.	Sub-para 271(1)	After the existing sub-clause 271(1) (b), the following sub-clause shall be added:— "(c) has failed, or being a partnership, any of its partners has failed, or being a limited company, any of its Directors has failed, to utilise satisfactorily any quota allocated for export earlier."

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.